

कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 1174 / 12-1 (1) दिनांक, देहरादून, 19 अक्टूबर 2014

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर,
वन विभाग कालोनी, देहरादून ।

विषय:-

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव, तहसील बड़कोट के अन्तर्गत कुथनौर रेंज में सिंचाई उपखण्ड चतुर्थ की फूलधार नहर निर्माण में अपेक्षित 0.2695 है० वन भूमि वन अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन की स्वीकृति विषयक ।

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट ने अपने कार्यालय पत्र संख्या 924/12-1 दिनांक 08-10-2015 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, पुरोला तहसील बड़कोट की फूलधार नहर के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.2695 हेक्टेअर वन भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति प्राप्त करने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है ।

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट ने सूचित किया है कि कुथनौर रेंज के अन्तर्गत किसान कक्ष संख्या 2 व 3 ए पानी के श्रोत के टैंक का निर्माण करने हेतु 0.0016 है० एवं 2679 मीटर लम्बी नहर निर्माण हेतु कुल 0.2695 हेक्टेअर अपेक्षित वन भूमि में निर्माण कार्य किये जाने हेतु कोई वृक्ष बाधित नहीं होगा ।

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट ने परियोजना का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 02-08-2013 को करते हुए प्रस्तावक के पक्ष में वन भूमि प्रत्यावर्तन की संस्तुति की गई है । परियोजना हेतु 0.2695 है० वांछित भूमि न्यूनतम होने तथा इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प न होने संबंधी प्रमाण पत्र में जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के हस्ताक्षर किये गये हैं ।

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट, की संस्तुति के पश्चात प्राप्त प्रस्ताव में निर्धारित प्रपत्र III में मय संस्तुति पदनाम एवं समुहर हस्ताक्षर के साथ प्रमाण पत्र आपके आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय,

(आर०के०मिश्र)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
यमुना वृत्त उत्तराखण्ड देहरादून

संख्या 1174 (1) / 12-1(1) उक्त दिनांकित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट को उनके पत्रांक 924 / 12-1 दिनांक 08-10-2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, पुरोला जिला उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(आर०के०मिश्र)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
यमुना वृत्त उत्तराखण्ड देहरादून

भाग-III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है ।)

कार्य का नाम- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव, तहसील बड़कोट के अन्तर्गत कुथनौर रेंज में सिंचाई उपखण्ड चतुर्थ की फूलधार नहर निर्माण में अपेक्षित 0.2695 है0 वन भूमि वन अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन की स्वीकृति विषयक।

क्रमांक 14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं ।
क्रमांक 15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव से सहमत हैं ।	सहमत ।
क्रमांक 16	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।	संस्तुति की जाती है ।

दिनांक - 19 अक्टूबर, 2015
स्थान - देहरादून ।

हस्ताक्षर

(आर०के०मिश्र)
वन संरक्षक,
यमुना वृत, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
यमुना वृत उत्तराखण्ड
देहरादून